



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती
पत्रांक - 1698 / 12-1, मुनिकीरेती, दिनांक 25 / 04 / 2019।

सेवा मे,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
भटवाडी, उत्तरकाशी ।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाडी में हीना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- नोडल कार्यालय द्वारा इंगित ऑनलाईन कमियां दिनांक-01.09.2018 ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नोडल कार्यालय द्वारा दिनांक-01.09.2018 से प्रस्ताव में कतिपय कमियां इंगित की गयी थी जिनकी निराकरण आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा उनके पत्रांक-2992/12-1, दिनांक-18.04.2019 से इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।

ऑनलाईन वेब पोर्टल पर प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों का निराकरण नहीं किया गया है ।


अतः नोडल कार्यालय का सन्दर्भित पत्र संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण-आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।

संलग्न:-यथोपरि।

संख्या:- 1698 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :-प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक


जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक

Following shortcomings still remain in the online reply-

1. In the place of justification, Alignment map has been uploaded at para - D (i) in form A, part I. please upload justification with authenticated by DFO.
2. In para -E of online part I, it is mentioned that permanent and temporary Employment for 05 person and 36500 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.
3. Some other documents is uploaded in the place of Ownership proof, MoU, and non-encumbrance certificate at section L-(iv-f,g,h) in Form A, part I. please rectify accordingly.
4. Shape of forest land proposed to be diverted is wrongly filled in Form A, part I.
5. Alternate alignment map has not been uploaded at section D (ii) in Form A, Part I.
6. CA scheme, CA site suitability certificate has not been uploaded in para-13 as additional information Form A, Part II.
7. NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A, Part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco Class at Para – 4 (i) in FormA, part II.
8. Tree list in 9 m width along with land schedule has not been uploaded as additional information in para 13 Form A, part II. pelase rectify.
9. Please provide seprate village wise details with mentioned area at section B-2.4 in Form A, Part I.

....Nodal office, Dehradun....